संख्या- /2022/आई0/130015/2022-23-9099/2570/2020

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में 06 अदद् पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु 06 अदद् नई मारूति सिआज कारों के क्रय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-1111ए0पी0/33ए0पी0/94, दिनांक 10-12-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय लोक निर्माण विभाग की 06 अदद् निष्प्रयोज्य पुरानी वाहन संख्या-यू0पी0-32 बी0जी0 0742, यू0पी0-32बी0जी0 0745, यू0पी0-32ई0-2393, यू0टी0डी0-6193, यू0पी0-32बी0जी0 0743 एवं यू0एच0बी0-3815 के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप 06 अदद् नई मारूति सिआज कारों के क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 48,86,394/- (रूपये अड़तालिस लाख छियासी हजार तीन सौ चौरानबे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं धनराशि के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त वाहन का क्रय वर्तमान सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों में दी गयी स्थायी व्यवस्था/आदेशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि केवल प्रश्नगत वाहन के क्रय पर ही व्यय की जायगी।

(3) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त दरें Government E Market Place (GEM) के अनुसार हैं।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उक्त निष्प्रयोज्य किये गये 06 वाहन शासकीय वाहन ही हैं तथा उनके सापेक्ष अभी तक रिप्लेसमेन्ट में कोई वाहन क्रय नहीं किया गया है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-54 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-निदेशन-14--मोटर गाड़ियों का क्रय की मद के नामे डाला जायेगा।

क्रमश:.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-3532-दस-2021-22- दिनांक 06-01-2022, में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- मुख्य अभियन्ता (वि0/यां0) लो0नि0वि0 लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, शासन ।
4- वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, उ0प्र0लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
7- नियोजन अनुभाग-4।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।